[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं 79/2018-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 05 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 31 मार्च, 2003 को सा.का.नि. 274(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) (क) प्रारम्भिक पैरा में,-

(i) शर्त (4) में, प्रथम परंतुक में, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तद्धीन बने नियमों के अधीन कोई माल या सेवा कर रजिस्ट्रीकृत" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शर्त (6) में,

(अ) खंड (ix) में, "सं. 62/2004-सीमा-शुल्क, तारीख 12.05.2014" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30.06.2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (xv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(xv) ऐसी शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें आभूषण या उसकी चीजें विनिर्मित करने के दौरान स्वर्ण या प्लैटिनम या चांदी के अधिकतम अपशिष्ट या विनिर्माण के दौरान हानि हस्तपुस्तिका प्रक्रिया के 4.60 पैरा के अनुसार होगी ।

स्पष्टीकरण.–इस उपशर्त के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अपशिष्ट प्रतिशत की संगणना स्वर्ण या प्लैटिनम या चांदी की कुल आयातित या आभूषण विनिर्माण के लिए जारी कुल मात्रा के संदर्भ में की जाएगी ;

(ख) विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अधीन विनियम के लिए उपाप्त आभूषण के लिए कोई अपशिष्ट अनुज्ञात नहीं होगा"।;

(ख) पैरा 3 के पहले परंतुक में, "सं. 106/58-सीमा-शुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सं. 36/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) पैरा 4 में, दूसरे परंतुक में,-

(i) खंड (क) में, "शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर अवक्षयण मूल्य के संदाय पर और निकासी की तारीख को प्रवृत्त दर पर"शब्दों के स्थान पर, "कर का संदाय, परंतु अवक्षयणित मूल्य पर छूट के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "आयात के समय मूल्य कर और ऐसे कर के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर" शब्दों के स्थान पर, "परंतु आयात के समय मूल्य पर छूट के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) पैरा 5 में,-

(i) पहले परंतुक में, खंड (ग) में,"विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नीति परिपत्र सं. 77(आरई-2008)/2004-09, दिनांक 31 मार्च, 2009, में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन नामित एजेंसियों (आरबीआई द्वारा अधिकृत और ईओयू एवं एसईजेड योजनाओं के तहत रत्न और आभूषण ईकाइयों के सिवाय)द्वारा किए जाते हैं" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति के उपबंध और सुसंगत दिशानिर्देश नामनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा पालन किए जाते हैं" रखा जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक में, "सं. 62/2004-सीमा-शुल्क, तारीख 12.05.2004" शब्दों और अंकों के स्थान पर, सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30.06.2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ङ) पैरा 11क में, "कर का संदाय" शब्दों के पश्चात्, "आयात के समय उद्ग्रहणीय, परंतु छूट के लिए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) पैरा 11ख में, "और उक्त अधिनियम के अधीन नियम 3 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर, यदि कोई है या लागू उत्पाद शुल्क" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत, यदि कोई हैऔर एकीकृत कर तथा प्रतिकरात्मक उपकर उपधारा (7) और उपधारा (9) या लागू उत्पाद कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) पैरा 13 के पश्चात्, स्पष्टीकरण में,-

(i) क्र. सं. (xii)में, "हस्तक प्रक्रिया, भाग-1 के उपाबंध-I से परिशिष्ट 14-झ-छ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के उपाबंध 1 से परिशिष्ट 6-च" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) क्र. सं. (xiii) में, "भाग-2, 2004-09" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "2015-20" अंक रखे जाएंगे ;

(ज) उपाबंध-I के क्र. सं. 14 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"14.	(i) निर्यात की तारीख से तीन वर्ष के भीतर मरम्मत या रिकंडिशनिंग के लिए पुनर्आयात माल (इस अधिसूचना के उपाबंध-VII में विनिर्दिष्ट से से भिन्न) ; (ii) निर्यात की तारीख से सात वर्ष के भीतर मरम्मत या रिकंडिशनिंग के लिए इस अधिसूचना के उपाबंध-VII में यथा विनिर्दिष्ट : परंतु उपरोक्त(i) और (ii) में उल्लिखित ऐसे पुनर्आयातित माल पुनर्आयात की तारीख के एक वर्ष के भीतर पुनर्निर्यात किए जाते हैं।" ।

(2) "या केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त" और "या केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी" शब्द जहां कहीं आते हैं, का लोप किया जाएगा ।

(3) उपाबंध-VI के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

"उपाबंध-VII

क्र. सं.	**शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद**	**माल का वर्णन**
1.	8443 31 00	मशीनें जो मुद्रण, प्रतिलिपि या अनुलिपि पारेषण के दो या दो से अधिक कृत्य करती हैं, किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन या किसी नेटवर्क से सम्बन्ध जोड़ने में समर्थ हैं
2.	8471 30, 8471 41, 8471 49 00, 8471 50 00	सुबाह्य स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनें कोडेड रूप में डेटा मीडिया पर डेटा लिप्यंतर किए जाने हेतु चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर्स, मशीनें और ऐसे डेटा, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है, को संसाधित करने के लिए मशीनें चुंबकीय या और उनकी यूनिट जिनमें कम से कम एक केन्द्रीय प्रक्रमण यूनिट, एक की बोर्ड और एक प्रदर्श है :
3.	8472 90 30	स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर
4.	8504 40	स्थैतिक संपरिवर्तित्र
5.	8517	टेलीफोन सेट, जिसके अन्तर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं ; आवाज, छाया या अन्य डाटा पारेषण या ग्रहण करने के लिए अन्य उपस्कर जिसके अन्तर्गत तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र

		नेटवर्क) में संचार के लिए उपस्कर भी हैं, शीर्ष 8443, 8525, 8527 या 8528 के पारेषण या ग्रहण उपस्कर से भिन्न टेलीफोन सेट, जिसके अन्तर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं :
6.	8518 40 00	श्रव्य आवृत्ति विद्युत प्रवर्धक
7.	8518 50 00	विद्युत ध्वनि प्रवर्तक सेट
8.	8525	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
9.	8526	रेडार उपकरण, रेडियो नौ परिवहन सहायक साधित्र और रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण
10.	8528 62 00	प्रोजेस्टर शीर्ष 8471 की किसी स्वःचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई
11.	8528 71 00	टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, चाहे रेडियो प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकार्डिंग या पुन: उत्पन्न उपकरण शामिल हों या नहीं: वीडियो डिस्प्ले या स्क्रीन को शामिल किए जाने हेतु डिजाइन नहीं किया गया है
12.	8528 72	रंगीन टेलीविजन
13.	8531 20 00	सूचक पैनल जिनमें द्रव क्रिस्टल युक्तियां (द्र.क्रि.यु.) या प्रकाश उत्सर्जन डायोड (प्र.उ.डा.) लगे हैं
14.	9018 11 00	इलेक्ट्रो-काडियोग्राफ
15.	9018 12	पराध्वनिक स्केनन साधित्र
16.	9018 13	चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन उपकरण
17.	9018 19 10	वैद्युत एनसीफालोग्राफ
18.	9018 19 20	प्रतिध्वनि कार्डियोग्राफ

19.	9021 40	श्रवण सहायक
20.	9022	उपकरण जो ऐक्स-किरण के या एल्फा, बीटा या गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित हैं, चाहे चिकित्सीय, शल्य-चिकित्सीय, दांत-चिकित्सीय या पशु-चिकित्सीय उपयोगों के लिए हैं या नहीं, जिसके अन्तर्गत रेडियोग्राफी या रेडियो चिकित्सा साधित्र, ऐक्स-किरण ट्यूब और अन्य ऐक्स-किरण जनित्र, उच्च विभव जनित्र, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और वैसी ही अन्य वस्तुएं भी हैं ।
21.	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए यंत्र और उपकरण (जैसे ध्रुवणमापी, अपवर्तनांक-मापी, स्पेक्ट्रममापी, गैस या धुम विश्लेषण उपकरण) ; श्यानता, संरध्रता, प्रसार, पृष्ठ तनाव या वैसी ही अन्य बातों को मापने या जांचने के लिए यंत्र और उपकरण ; उष्मा, ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए यंत्र और उपकरण (जिनके अंतर्गत उद्गासमापी भी है) ; माइक्रोटोम
22.	9028 30	गैस, द्रव या विद्युत प्रदाय अथवा उत्पादन मापी, जिसके अंतर्गत उनके लिए अंशांकक मापी भी है विद्युत मीटर
23.	9030	विद्युत की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए दोलनदर्शी, स्पेक्ट्रम विश्लेषण और अन्य यंत्र और साधित्र, जिनके अन्तर्गत शीर्ष 9028 के मापी नहीं है ; अल्फा, बीटा, गामा, ऐक्स-रे अंतिरक्षी या अन्य अयनकारी विकिरणों को मापने या पहचानने के लिए यंत्र या उपकरण
24.	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण यंत्र और साधित्र

[फा. सं. डीजीईपी/ईओयू/40/2017]

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i)मेंसा.का.नि. 274(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की

गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 65/2018-सीमा-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधित की गई जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 918(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।